राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1603/2025 राजेश बनाम सीताराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो।	
04/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/05/2025 पारित करते हुये तहसीलदार चौमू को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर पक्षकारान को अपने स्तर पर सूचित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार पालना करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/05/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07/04/2025 को प्रश्नाधीन वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण/अपीलार्थी के रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान करते हुये आगामी पेशी दिनांक 13/05/2025 नियत की गयी एवं दिनांक 13/05/2025 को ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश होने का अंकन करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये वादी की एकपक्षीय बहस समायत कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होती है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये पक्षकारान को उपस्थित होकर जवाब वाद प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करते किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर एकपक्षीय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित की गयी है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/05/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	राजेश बनाम सीताराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/03/2025	को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को जवाब वाद प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत एवं विवेचनात्मक प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	